

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

रीडर/2026/475

पीठारीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक - 05/02/2026

प्रार्थीनी  
1 नेनुदेवी पत्नि गेमराराम जाति  
मेघवाल निवासी मथरानियों की  
ढाणी बाड़मेर आदर्श आगोर  
तहसील रामसर जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 पेम्पीदेवी पत्नि भंवराराम 2 मतीदेवी पत्नि  
तमाचीराम 3 हेमीदेवी पत्नि धुडाराम जाति  
मेघवाल निवासी मथरानियों की ढाणी बाड़मेर  
आदर्श आगोर 4 धाशीवाल प्रोपर्टी के भागीदार  
अनिलकुमार पुत्र शंकरलाल जाति औसवाल  
निवासी हमीरपुरा बाड़मेर तहसील व जिला  
बाड़मेर 5 तहसीलदार बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने  
राजस्व आवेदन संख्या :-663/2025

नेखमबन्दी बाबत  
दिनांक-23.01.2028

**आदेश**

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा महाबार पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा  
संख्या 2343/115 रकबा 08 बीगा, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने  
हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व  
प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी  
फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.  
1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये  
1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा  
किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी  
उप खण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

दिनांक- 05/02/2026

क्रमांक :- रीडर/2026/476 - 475  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी महाबार तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेक उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीनी नेनुदेवी पत्नि गेमराराम जाति मेघवाल निवासी मथरानियों की ढाणी बाड़मेर आदर्श आगोर तहसील रामसर जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण पेम्पीदेवी पत्नि भंवराराम जाति मेघवाल निवासी मथरानियों की तहसील बाड़मेर आदर्श आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,  
उप खण्ड अधिकारी  
बाड़मेर